संख्या-33/2021/493/71-1-2021-जी-66/2018टी0सी0-14

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनाँक 08 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर में अग्निशमन सुरक्षा कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/673, दिनाँक 30-12-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर में अग्निशमन सुरक्षा कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 810.48 लाख (रू0 आठ करोड़ दस लाख अड़तालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिक सेफ्टी हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 747.94 लाख में से प्रश्नगत कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 162.09 लाख (रू0 एक करोड़ बासठ लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।
2- प्रायोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।
3- प्रायोजनान्तर्गत वार्ड ब्लाक, चिल्ड्रेन हास्पिटल, आई0सी0यू0ए0, ओ0पी0डी0 ब्लाक, नर्स एण्ड रिकार्ड रूम तथा हास्पिटल भवन में अग्नि सुरक्षा से संबंधित फायर फायटिंग स्प्रिंकलन सिस्टम एवं फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान है।
4- प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रयोजनान्तर्गत विभिन्नी कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/महानिदेशक को होगा।
6- प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
7- प्रायोजना में प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत् मानते हुए परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छाादित किया जाना प्रस्तावित है।
9- डी0एस0आर0 की दरों से जी0एस0टी0 की लागत हटाने, नान शिड्यूल दरों में यथोचित कमी किये तथा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हेतु प्रस्तावित धनराशि अनुमन्य न किये जाने के कारण प्रायोजना की लागत में कमी हुई है।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 24-03-2020 एवं शासनादेश दिनाँक 07.04.2020, 11.04.2020, 29.09.2020 एवं 20.01.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11- पी0एफ0ए0डी0 की शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
12- प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

14- महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।

15- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

16- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

17- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

18- संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

19- कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये।

20- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-72-राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिक सेफ्टी-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।''

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-218/दस-2021, दिनॉक 03 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-33/2021/493(1)/71-1-2021 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।